

परिशिष्ट

1.1

पार्ट -ए

झारखण्ड राज्य का आँकड़ा (संदर्भ झारखण्ड का परिचय ; पृष्ठ - 1)

झारखण्ड राज्य का आँकड़ा

ए. सामान्य आँकड़ा		
क्र.सं.	विवरण	आँकड़ा
1	क्षेत्रफल	79714 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या	
	(ए) 2001 के जनगणना के अनुसार	2.69 करोड़
	(बी) 2010-2011	3.30 करोड़
	(ए) जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व- 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	338 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
3	(बी) जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय घनत्व- 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	414 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या *(बी.पी.एल) (आखिल भारतीय औसत- 27.5%)	40.3 प्रतिशत
	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय औसत- 64.8%)	44 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (आखिल भारतीय औसत- 74.0%)	67.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर** (प्रति 1000 जीवित जन्म) आखिल भारतीय औसत- 50 प्रति 1000 जीवित जन्म	44
7	गिनी गुणांक***	
	(ए) ग्रामीण (पूरा भारत -0.30)	0.22
	(बी) शहरी (पूरा भारत -0.37)	0.35
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) चालू मूल्य पर 2010-11	108401 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ./सी.ए.जी.आर (2001-02 से 2010-11)	9.71 प्रतिशत
	अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	11.32 प्रतिशत
10	स.रा.घ.उ./सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11)	13.34 प्रतिशत
	अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.68 प्रतिशत
11	जन संख्या वृद्धि (2001 से 2011)	22.34 प्रतिशत
	अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	17.56 प्रतिशत
व. वित्तीय आँकड़ा		
क्र. सं.	विवरण	आँकड़ा (प्रतिशत में)
	सी.ए.जी.आर.	2001-02 से 2009-10 2001-02 से 2010-11
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य झारखण्ड झारखण्ड
1	ए. राजस्व प्राप्तियों का	15.20 16.37 17.20
2	बी. स्वयं के कर राजस्व का	14.53 13.93 15.30
3	सी. गैर कर राजस्व का	13.87 12.93 14.13
4	डी. कुल व्यय का	13.53 15.17 15.17
5	ई. कुल पूँजीगत व्यय	22.61 17.72 15.40
6	एफ. शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.73 15.09 15.60
7	जी. स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	11.97 11.56 11.64
8	एच. वेतन एवं मजदूरी	11.45 19.11 17.51
9	आई. पेंशन	14.09 15.94 16.77

*लोक वित्त लेखे पर आधारित वित्तीय आँकड़ा बी.पी.एल. (योजना आयोग और एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा 61वें दोर) ** शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.डुलेटिन जनवरी 2011)। आधिक आँकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित एवं *** गिनीगुणांक (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. आँकड़ा अनोपनारिक आकलन, 61वें दोर 2004-05 एम.आर.पी.)।

गिनीगुणांक जनसंख्या पर आधारित आय वितरण के आसामानजंता को मापता है। मूल्य दर शून्य से एक तक में आका जाता है। मूल्य दर शून्य के करीब होने पर इसे एक आदर्श समानता माना जाता है और मूल्य दर एक के नजदीक हो तो इसे आदर्श भासामानता माना जाता है।

पार्ट -बी

सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

(संदर्भ कंडिका -1.1 ; पृष्ठ - 1)

सरकारी लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं: (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा पाये गये सारे राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गये सारे कर्ज, आंतरिक और बाह्य कर्ज और सरकार द्वारा प्राप्त सभी तरह की राशि जो कर्ज के भुगतान में मिली हो, एक संचित निधि को निर्मित करती है जिसे 'राज्य सरकार की संचित निधि' कहते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित होती है।

भाग II: आकस्मिक निधि: राज्य सरकार के आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित होती है, एक इम्प्रेस्ट के तरह की होती है जो राज्यपाल के अधिकार में रहती है जिससे कि वह आवश्यक गैर अनुमानित खर्चों को कर सकें जो विधान सभा से अनुमोदन के लिए पड़ी हो। इस तरह के खर्चों का विधान सभा से अनुमोदन और बराबर राशि को संचित निधि से निकाला जाता है जब कि आकस्मिक निधि से लिए गए अग्रिम वापस निधि में डाले जाते हैं।

भाग III: लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उच्चता, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

पार्ट -सी

वित्त लेखे की अभिन्यास

(संदर्भ कंडिका -1.1 ; पृष्ठ - 1)

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार के परिस्मतियों एवं दायित्वों का प्रगामी व्यय को दर्शाता है। ये परिस्मतियाँ प्रायः वित्तीय सम्पत्तियाँ होती हैं जिनका पूँजीगत प्रगामी व्यय के रूप में सरकार के भौतिक परिस्मतियों को दर्शाती है। लेखांकन निति के अनुसार परिस्मतियाँ ऐतिहासिक मूल्य को दर्शाती हैं।
विवरणी सं. 2	यह वर्ष के दौरान सरकार के कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय के संक्षिप्त विवरणी है जो सरकार के लेखे के तीन भाग - संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे में संदर्भित किए जाते हैं।
विवरणी सं. 3	यह विवरणी राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा भारत सरकार, अन्य संस्थाएं से उधार बाजार ऋण तथा सरकार दिये गये ऋण अग्रिमों की वापसी को दर्शाता है।
विवरणी सं. 4	यह कार्यात्मक एवं प्राकृति अनुसार व्यय का संक्षिप्त विवरण है।
विवरणी सं. 5	यह प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है जिसका पूर्ण योग विवरण एक में दिया गया है।
विवरणी सं. 6	यह सरकार के उधार को प्रस्तुत करता है जिसमें बाजार ऋण एवं भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसके साथ अन्य दायित्वों जो लोक लेखा के विभिन्न खंडों में शेष हैं और जिसके लिए सरकार अभिक्षक या द्रस्टी के रूप में कार्य करती है।
विवरणी सं. 7	यह सरकार के ऋण एवं अग्रिमों (खंड एवं उदारकर्ता के ग्रूप के अनुसार) जिसे विवरणी 16 में दर्शाया गया है तथा जिनकी प्राप्तियाँ तथा संवितरण को विवरण संख्या 2,3 एवं 4 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 8	यह सरकार के सहायक अनुदान को प्राप्तकर्ता संस्थान के ग्रूप के अनुसार दर्शाता है। लेखा टिप्पणी भी इसके साथ शामिल रहती है।
विवरणी सं. 9	सामाविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दी गयी गैरंटीयों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमय व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं.11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.12	लघु शीर्षों के द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी सं.13	वर्ष 2010-11 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत व्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.14	वर्ष 2010-11 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत व्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शेष के अनुसार उधारों का विवरण तथा उनके मैचुरिटी प्रोफाईल को दर्शाता है।
विवरणी सं.16	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 31 मार्च 2011 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त व्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.17	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छाड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट

1.2

पार्ट -ए

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली

(संदर्भ कंडिका -1.1 ; पृष्ठ -1)

बारहवें वित्त आयोग द्वारा विहित वित्तीय परिवर्तनीय मानदण्डों/सीमाओं एवं इसके साथ चयनित राजकोषीय समुच्चय और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम (**परिशिष्ट 1.2 पार्ट-बी**) एवं आवश्यक विवरण जिसे अधिनियम के अधीन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है को मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं नमूना के गुणात्मक निर्धारण हेतु उपयोग में लाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेतक मानते हुए, बर्तमान बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मूख्य राजकोषीय योगों जैसे कर और कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीकृत व्यय, आन्तरिक ऋण और राजस्व और राजकोषीय घाटा का प्रतिशतता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सुसंगत राजकोषीय चलों का उत्पादकता को एफीसिएंट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिससे साधनों का जुटान, व्यय का पैटर्न आदि की गणना की जा सके साथ ही आधार एवं राजकोषीय योगों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर, में अन्य कारणों से परिवर्तन के साथ चला जा सके।

पिछले पाँच वर्षों का स.रा.घ.उ. का रूझान नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति (स.रा.घ.उ.)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये में)	66935	83950	88011	97519	108401
स.रा.घ.उ. की विकास दर	9.9	25.4	4.8	10.8	11.2

स्रोत : सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय झारखण्ड सरकार

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्पादकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (Y) के संबंध में प्राचल की उत्पादकता (x)	प्राचल की वृद्धि दर (x)/ प्राचल की वृद्धि दर (Y)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)- 1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/ [(पूर्ण वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2)] * 100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ.वृद्धि - औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टांक का * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष) /2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर)	राजस्व घाटा घटाव सभी योजना अनुदान और गैर योजना राजस्व व्यय, 2048 शीर्ष के अन्तर्गत ऋण बचाव हेतु विनियोग से घटाव के अधीन लिखित व्यय को छोड़कर

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व घाटे का क्रमिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरूप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधित विषयों पर अधिनियम के सम्बन्ध में दूरदर्शिता सुनिश्चित करना है। तदनुसार, राजकोषीय प्रबंधन सिद्धान्तों को जैसा कि उसके अधिनियम और/या नियम में बदल गया, को प्रभावी करने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित अनुश्रवणीय राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं

- दिनांक 31 मार्च, 2009 की समाप्ति पर राजस्व घाटे को घटा कर शून्य करना,
- दिनांक 31 मार्च, 2009 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अधिकतम तीन प्रतिशत तक कम करना
- दिनांक 31 मार्च, 2008 की समाप्ति पर प्राथमिक बचत को अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद से तीन प्रतिशत अधिक करना,
- ऋण में स्वपोषित स्तर पर लाने हेतु व्याज अदागियों को राजस्व प्राप्तियों का 18 से 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना
- राज्य का कुल ऋण पूँजी कुल राजस्व प्राप्ति के 300 प्रतिशत तक होनी चाहिए (वर्ष 2007-08 के अंत तक)
- अन्य महत्वपूर्ण अनुश्रवणीय राजकोषीय लक्ष्य निम्नवत् होंगे
 - राज्य राजस्व के अनुपात में वेतन के प्रतिशत को कम करते हुए 80 प्रतिशत तक लाया जाना
 - दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व और समादेशित राजस्व के अनुपात में गैर व्याज बचनवद्ध राजस्व व्यय को 55 प्रतिशत तक लाया जाना,
 - दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व घाटा के अनुपात को शून्य प्रतिशत तक लाना।

वशर्ते जब प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य के वित्त पर अकल्पित मांग होगा तो राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा इस धारा में विनिर्दिष्ट अधिसीमा के अतिरिक्त हो सकेगा लेकिन उपर वर्णित कारणों से जो अधिक व्यय होगा वह वास्तविक वित्तीय लागत से अधिक नहीं होगा।

परिशिष्ट

1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े (संदर्भ : कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.7.1; पृष्ठ-1, 6 एवं 24)

(रुपयोग में)

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
भाग-क प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	10010(84)	12027(86)	13213(84)	15118(82)	18781 (88)
i. कर राजस्व	3189(32)	3474(29)	3753(28)	4500(30)	5717(30)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2557(80)	2846(82)	2996(80)	3597(80)	4473(78)
राजस्व उत्पाद	130(4)	157(5)	205(6)	323(7)	388(7)
वाहनों पर कर	218(7)	136(4)	202(6)	234(5)	312(6)
मुद्रांक एवं पंजियन शुल्क	122(4)	156(4)	192(5)	238(5)	328(6)
भू-राजस्व	36(1)	26(1)	53(1)	41(1)	131(21)
माल एवं यात्रीयों पर कर	74(2)	71(2)	54(1)	13	21
अन्य कर	52(2)	82(2)	51(1)	54(2)	64(1)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1250(12)	1601(13)	1952(15)	2254(15)	2803(15)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	4051(41)	5110(42)	5392(41)	5547(37)	6154(33)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1520(15)	1842(15)	2116(16)	2817(18)	4107(22)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अधिम की वसूली	16	44	19	22	24
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1 + 2+ 3)	10026	12071	13232	15140	18805
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	1866(16)	2023(14)	2437(16)	3369(18)	2447(12)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अधिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर)	1849	2009	2434	3379	2315
अर्थोपाय अधिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	..	--
भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अधिम	17	14	3	-10	132
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	11892	14094	15669	18509	21252
7. आक्रमिकता निधि प्राप्तियाँ	-	32	-	-	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	4293	7013	8335	8242	7721
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	16185	21139	24004	26751	28973
भाग-ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	9064(83)	10832(77)	12877(79)	15128(83)	17945(86)
योजना	2432(27)	2980(28)	3813(30)	3758(25)	6004(33)
गैर योजना	6632(73)	7852(72)	9064(70)	11370(75)	11941(67)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	3810(42)	4607(43)	4924(38)	6605(44)	6991(39)
सामाजिक सेवायें	3327(37)	4257(39)	5385(42)	5610(37)	6707(37)
आर्थिक सेवायें	1925(21)	1967(18)	2533 (20)	2913(19)	4247(24)
सहायता अनुदान एवं अंश दान	2	-	35	-	-
11. पूँजीगत व्यय	1461(13)	2584(19)	3051(19)	2703(15)	2664(13)
योजना	1461(100)	2558(99)	3015(99)	2682(99)	2621(98)
गैर योजना	-	26(1)	36(1)	21(1)	43(2)
सामान्य सेवायें	72(5)	108(4)	176(6)	112(4)	120(4)
सामाजिक सेवायें	495(34)	832(32)	1355(44)	825(31)	682(26)
आर्थिक सेवायें	894(61)	1644(64)	1520(50)	1766(65)	1862(70)
12. ऋण एवं अधिम का संवितरण	411(4)	598(4)	418(3)	320(2)	308(1)
13. कुल (10+11+12)	10936	14014	16346	18151	20917
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	606	747	863	1190	1299
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अधिम एवं	444(73)	572(77)	716(83)	1068(90)	1063(82)

अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	9(1)	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	162(19)	175(23)	138(16)	123(10)	236(18)
15. आकस्मिकता से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+ 14 + 15)	11542	14761	17209	19341	22216
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण	32	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	3552	6206	7185	7290	7400
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	15126	20967	24394	26631	29616
भाग- ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	946	1195	336	(-)10	836
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजस्व आधिक्य (+) (4-13)	(-)910	(-)1943	(-)3114	(-)3011	(-)2112
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	703	(-)185	(-)1227	(-)704	116
भाग-घ. अन्य अँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्तुष्टि)	1613	1758	1887	2307	2228
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1631	1266	2366	2333	3122
25. अर्थोपाय अग्रिम उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	29	-	-	-	-
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	29	-	-	-	-
उपमुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट पर व्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ^(a)	66935	83950	88011	97519	108401
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	19417	21615	24084	27165	28655
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	530	530	500	500	-
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	-	-	-	-
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या	27	25	247	262	167
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1489	1616	1797	1466	1503
भाग-ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	4.8	4.1	4.3	4.6	5.3
स्वयं के कर भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	1.9	1.9	2.2	2.3	2.6
केन्द्रीय अंतरण/स.रा.घ.आ.	8.3	8.3	8.5	8.6	9.5
II व्यय प्रबंध					
कुल व्यय स.रा.घ.आ.	16.3	16.7	18.6	18.6	19.3
कुल व्यय/ राजस्व प्रपत्ति	109.3	116.5	123.7	120.1	111.4
राजस्व व्यय/कुल व्यय	82.9	77.3	78.8	83.3	85.8
सामाजिक सेवा पर व्यय/कुल व्यय	35.5	36.8	41.7	35.8	35.3
आर्थिक सेवा पर व्यय/कुल व्यय	28.9	29.4	26.9	27.2	30.5
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	13.4	18.4	18.7	14.9	12.7
सामाजिक सेवा एवं आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	12.7	17.7	17.6	14.3	12.2

III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंध					
राजस्व घाटा आधिक्य/स.रा.घ.उ.	1.4	1.4	0.4	00	0.8
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	-1.4	-2.3	-3.5	-3.1	-1.9
प्राथमिक घाटा/आधिक्य/स.रा.घ.उ.	1.1	-0.2	-1.4	-0.7	0.1
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ.	-104.1	-61.5	-10.8	-0.3	-39.6
प्राथमिक राजस्व असंतुलन/स.रा.घ.उ.	3.8	3.5	2.5	2.4	2.8
IV राजकोषीय दायित्व का प्रबंध					
राजकोषीय दायित्व/स.रा.घ.उ.	29.0	25.7	27.4	27.9	26.4
राजकोषीय दायित्व/अ.अ.	194.0	179.7	182.3	179.7	152.6
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	899	3087	-1966	-270	980
ऋण निर्माचन (मलधन + ब्याज) /कुल ऋण प्राप्ति	-	-	5.4	3.1	4.3
V अन्य राजकोषीय स्वस्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	0.40
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	2117	2890	2625	2077	4014
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	73	81	84	85	89

कोष्ठक में दर्शाये गये अंक प्रत्येक उप शीर्ष के योग से अनुभात (पुर्णांक) दर्शाता है।

(ग) स.रा.घ.उ. का अंक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया।

परिशिष्ट

1.4

पार्ट -ए

वर्ष 2010-11 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ : कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

(₹करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2009-10			2010-11	2009-10		गैर योजना	योजना	कुल	2010-11
अनुभाग क : राजस्व									
15118.47	I. राजस्व प्राप्तियाँ		18781.12	15128.24	I. राजस्व व्यय	11940.93	6003.81	17944.74	17944.74
4500.12	कर राजस्व	5716-63		6605.36	सामान्य सेवाएं	6826.24	128.56	6990.80	
				5610.30	सामाजिक सेवाएं	3304.56	3402.74	6707.30	
2254.15	कर भिन्न राजस्व	2802-89		3170.93	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2356.83	1445.43	3802.26	
				599.83	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	481.08	192.84	673.92	
5547.57	संघीय करों में राज्य के हिस्से	6154-35		294.17	जलपूर्ति स्वच्छता, आवास और नगर विकास	252.62	184.87	437.49	
				33.78	सूचना एवं प्रसारण	20.69	7.46	28.15	
1145.33	गैर योजना अनुदान	1281-40		326.64	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79.66	356.67	436.33	
982.97	राज योजना हेतु अनुदान	1826-99		113.54	श्रम एवं श्रम कल्याण	41.75	92.00	133.75	
				1054.31	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	54.48	1123.47	1177.95	
688.33	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	998-86		17.10	अन्य	17.45		17.5	
				2912.38	आधिक सेवाएं	1773.96	2472.51	4246.47	
				632.29	कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप	301.98	519.01	820.99	
				744.90	ग्रामीण विकास	461.54	1216.74	1678.28	
				-	विशेष दोत्र कार्यक्रम	--		--	
				262.60	सिंचाइ एवं वाढ नियंत्रण	264.10		264.10	
				463.17	जर्जा	451.30	83.87	535.17	
				173.57	उद्योग एवं खनिज	39.57	86.24	125.81	

				335.33	परिवहन	196.27	6.00	202.27	
					विज्ञान तकनीकि एवं पर्यावरण	-	-	-	
				300.52	सामान्य आर्थिक सेवाएं	59.20	560.65	619.85	
				0.20	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.17	--	0.17	
				15128.24	कुल	11940.93	6003.81	17944.74	17944.74
	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व धारा			(-9.77)	II खण्ड ख में ले जाया गया राजस्व आधिक्य				836.38
15118.47	कुल	18781-12		15118.47	कुल				18781.12
	अनुभाग ख								
637.52	III आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		640.91*		III रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्ट	--	--	--	--
	IV विविध पूँजीगत प्राप्तियां			2703.04	IV पूँजीगत परिव्यय	43.33	2620.97	2664.30	2664.30
				112.61	सामान्य सेवाएं	43.33	76.71	120.04	
				824.50	सामाजिक सेवाएं	--	681.88	681.88	
				98.24	शिक्षा क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	--	54.20	54.20	
				84.87	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	--	142.68	142.68	
				583.31	जलापूर्ति स्वच्छता, आवास और नगर विकास	--	297.48	297.48	
				-	सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	
				58.08	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	187.52	187.52	
	अनुभाग ख अन्य (निष्कर्ष)								
					सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	--	--	--	
					अन्य	--	--	--	
				1765.92	आर्थिक सेवाएं	--	1862.38	1862.38	
				6.41	कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाकलाप	--	22.64	22.64	
				690.81	ग्रामीण विकास	--	593.87	593.87	
					विशेष क्षेत्र कायक्रम	--	--	--	
				205.23	सिंचाई एवं वाढ	--	267.79	267.79	

परिशिष्ट

					नियंत्रण				
				-	ऊर्जा	-	-	-	
				1.00	उद्योग एवं खनिज	--	1.10	1.10	
				845.27	परिवहन	--	971.93	971.93	
				17.20	सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	5.05	5.05	
				2703.04	कुल	--	2620.97	2664.30	
21.79	V ऋण एवं अग्रिम का बसूली		24.12	319.98	V ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	136.84	170.72	307.56	307.56
	विद्युत परियोजना से	-		245.82	विद्युत परियोजना को	107.56	167.87	275.43	
21.01	सरकारी सेवको से	20.79		12.29	सरकारी सेवको को	11.63	--	11.63	
0.78	अन्य से	3.33		61.87	अन्य को	17.65	2.85	20.50	
335.94	VI नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		836.38		VI नीचे लाया गया राजस्व घाटा	--	--	--	
3369.44	VII लोक ऋण प्राप्तियाँ		2446.51		VII लोक ऋण पूर्णमुगतान				1299.43
	वाह्य ऋण				वाह्य ऋण	--	--	--	
3379.47	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	2314.56		1067.61	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	--	--	1063.17	
	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन	-		8.86	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेन-देन				
	ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-							
(-)10.03	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	131.95		122.60	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पूर्णमुगतान			236.26	
	VIII आकस्मिकता नीथि विनियोग	-			VIII आकस्मिकता नीथि विनियोग	--	--	--	
	IX आकस्मिकता नीथि में स्थानान्तरित शाशि	-			IX आकस्मिकता नीथि से व्यय	--	--	--	
8241.68	X लोक लेखा प्राप्ति		7721.42	7290.30	X लोक लेखा संवितरण				7399.85
686.66	लघु बचत एवं भविष्य निधि	571.73		414.27	लघु बचत एवं भविष्य निधि			467.08	
489.36	रक्षित निधि	0.31		175.98	रक्षित निधि			223.50	
303.82	उचन्त एवं विविध	181.39		171.88	उचन्त एवं विविध			211.63	

2612.36	प्रेषण	3298.20		2651.19	प्रेषण			3291.70	
4149.48	जमा एवं अग्रिम	3669.79		3876.98	जमा एवं अग्रिम			3205.94	
	अंतर्राजीय समायोजन		1.39		अंतर्राजीय समायोजन			--	
	XI भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंत शेष			757.13	XI वर्ष के अंत का रोकड़ शेष			(-)0.41	
				-	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--	--	--	
				(-)753.09	रिजर्व बैंक में जमा			(-)891.38	
				34.61	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			11.78	
				116.22	चिन्हित निधि का निवेश			--	
				1359.39	रोकड़ का निवेश			879.19	
12270.43	कुल		30451.85	12270.43	कुल				30451.85

*आपदा राहत कोष से निवेशित तथा प्रारंभिक रोकड़ शेष में सम्मिलित ₹ 116.22 करोड़ को राज्य आपदा कोष के प्रारंभिक शेष में स्थानांतरित किया गया। अतः प्रारंभिक कोष घट कर ₹ 640.91 करोड़ हो गया।

परिशिष्ट

1.4

पार्ट-बी

31 मार्च 2011 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ : कंडिका 1.7.1 पृष्ठ 24)

(रुपये में)

31.03.2010 को	दायित्व	31.03.2011 को
19880.00	अन्तर्रिक्त ऋण	21131.39
7647.11	ब्याज वाले बाजार ऋण	7845.07
0.17	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.17
6.30	जि.वि.नी. से ऋण	6.30
3126.42	अन्य संस्थाओं से ऋण	3223.35
-	अर्थोपाय अग्रिम	--
9100.00	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	10056.50
-	रिजर्व बैंक से औवर ड्राफ्ट	--
2271.51	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2167.20
1.32	1984-85 के पूर्व कार्य ऋण	1.33
15.32	गैर योजना ऋण	12.06
2218.61	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2118.67
1.42	केन्द्र योजनागत योजना हेतु ऋण	1.24
20.30	केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु ऋण	19.36
14.54	अन्य अर्थोपाय अग्रिम	14.54
	अन्तर्राज्यीय समायोजन	1.39
150.00	आकस्मिकता निधि	150.00
1353.41	लघु बचत भविष्य निधि	1458.06
2888.68	जमा	3350.17
887.63	रक्षित निधि	548.22
	अंतरण शेष	--
34.58	उचंत एवं विविध शेष	4.33
27465.81	कुल	28810.76
	सम्पत्ति	
15707.25	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	18371.55
47.62#	कंपनियों, निगम आदि के शेयर में निवेश	54.07#
15659.63	अन्य पूँजीगत परिव्यय	18317.48
6713.02	ऋण एवं अग्रिम	6996.47
6143.13	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	6418.56
562.53	अन्य विकास ऋण	579.71
7.36	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	(-)1.80
11.74	अग्रिम	9.38

उचंत एवं विविध शेष		-	-
757.13	नगद	-	(-)0.41
	कोषागर में नगद एवं अस्थानीय प्रेषण		
(-)753.09	रिजर्व बैंक में जमा	(-)891.39	
116.22	जमा निधि का निवेश		
34.61	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम के साथ	11.79	
1359.39	नगद शेष निवेश	879.19	
293.81	प्रेषण शेष		287.30
3982.86	सरकारी लेखे में घाटा		3146.47
(-)9.77	(i) वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य/घाटा	836-38	
-	(ii) विविध घाटा	-	
3973.09*	वर्ष के शुरुआत में संचय घाटा/आधिक्य	3982.85	
27465.81			28810.76

राजस्व लेखा से निगमों के खाते में निवेशित ₹ 5.75 करोड़ को छोड़ कर जिन्हें स्रोत के अनुपलब्धता के कारण लेखे में नहीं लिया गया।

* अन्तर्राजीय समायोजन (₹145.87 करोड़) संचय घाटा में सम्मिलित।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित विस्तार टिप्पणी

पूर्ववर्ती विवरणियों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में व्याख्या और टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना है। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होता है, सरकारी लेखा में घाटा जैसा कि **परिशिष्ट 1.4** में दिखाया गया है संभूति आधारित वाणिज्यिक लेखे के विपरीत रोकड़ आधारित स्थिति को इंगित करता है। तदन्तर, भुगतेय या प्राप्ति योग्य मर्दे या भण्डार आँकड़ों में विचलन या ह्रास वाली मर्दे इत्यादि लेखे में चिह्नित नहीं है। उचन्त और विवध शेष में अभुगतित निर्गत चेक अन्य लंबित समायोजन और राज्य की ओर से किया गया भुगतान सम्मिलित है। लेखे में प्रतिविम्बित आँकड़ों और 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आँकड़े जो समाशोधन की प्रक्रिया में था, के बीच ₹ 101.06 करोड़ (निवल खाता) का अंतर था।

परिशिष्ट

2.1

₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत
से अधिक अनुदानों / विनियोग की विवरणी
(संदर्भ कांडिका 2.4.1 पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुमान विनियोजन का नाम	कुल	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व					
1	1	कृषि विभाग	466.23	181.21	38.87
2	2	पशुपालन एवं मत्यस्य विभाग	211.15	46.11	21.84
3	6	चुनाव	36.79	15.06	40.94
4	10	ऊर्जा विभाग	892.94	346.05	38.75
5	19	वन एवं पर्यावरण विभाग	291.04	68.35	23.48
6	20	स्वास्थ्य विकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	842.67	178.41	21.17
7	24	सूचना और जन संपर्क विभाग	34.70	8.29	23.89
8	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग	3.48	2.17	62.36
9	35	योजना एवं विकास विभाग	30.17	14.01	46.44
10	43	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	126.29	51.83	41.04
11	46	पर्यटन विभाग	8.01	4.03	50.31
12	47	परिवहन विभाग	82.81	53.39	64.47
पूँजी					
13	3	भवन निर्माण विभाग	75.70	26.41	34.89
14	10	ऊर्जा विभाग	408.00	132.57	32.49
15	20	स्वास्थ्य विकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	229.29	86.61	37.77
16	22	गृह विभाग	181.01	101.74	56.21
17	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	345.07	77.82	22.55
18	42	ग्रामीण विकास विभाग	832.00	236.62	28.44
19	43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	67.30	27.38	40.68
20	44	माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	8.61	5.62	65.27
21	46	पर्यटन विभाग	19.55	14.50	74.17
22	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	693.97	657.39	94.73
23	49	जल संसाधन विभाग	382.00	153.71	40.24
24	50	लघु सिचाई विभाग	122.20	29.80	24.38
25	51	कल्याण विभाग	275.51	109.52	39.75
26	52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	43.15	31.87	73.86

परिशिष्ट

2.2

**पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ कंडिका 2.4.4 पृष्ठ 37)**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुपात/विनियोता की संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति की कार्य का चरण
2001-02	32	विधायिका	0.04	कोई कार्रवाई नहीं
2002-03	10	ऊर्जा विभाग	7.00	कोई कार्रवाई नहीं
2002-03	13	ब्याज भुगतान	472.46	कोई कार्रवाई नहीं
2002-03	14	कर्ज का पुनर्भुगतान	761.96	कोई कार्रवाई नहीं
2002-03	32	विधायिका	0.08	कोई कार्रवाई नहीं
2003-04	10	ऊर्जा विभाग	9.63	कोई कार्रवाई नहीं
2003-04	13	ब्याज भुगतान	191.28	कोई कार्रवाई नहीं
2003-04	14	कर्ज का पुनर्भुगतान	674.72	कोई कार्रवाई नहीं
2003-04	39	सहायक और पुनर्वास विभाग	61.33	कोई कार्रवाई नहीं
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29	कोई कार्रवाई नहीं
2004-05	13	ब्याज भुगतान	365.80	कोई कार्रवाई नहीं
2004-05	14	कर्ज का पुनर्भुगतान	133.44	कोई कार्रवाई नहीं
2004-05	23	उद्योग विभाग	7.49	कोई कार्रवाई नहीं
2004-05	39	सहायक और पुनर्वास विभाग	69.34	कोई कार्रवाई नहीं
2005-06	10	ऊर्जा विभाग	2628.94	कोई कार्रवाई नहीं
2005-06	13	ब्याज भुगतान	492.53	कोई कार्रवाई नहीं
2006-07	13	ब्याज भुगतान	833.58	कोई कार्रवाई नहीं
2006-07	14	कर्ज का पुनर्भुगतान	412.28	कोई कार्रवाई नहीं
2007-08	14	कर्ज का पुनर्भुगतान	229.64	कोई कार्रवाई नहीं
2007-08	15	पेंशन	104.80	कोई कार्रवाई नहीं
2008-09	12	वित्त विभाग	137.13	कोई कार्रवाई नहीं
2008-09	14	कर्ज का पुनर्भुगतान	91.76	कोई कार्रवाई नहीं
2009-10	14	कर्ज का पुनर्भुगतान	116.71	*
कुल			7802.23	

*सूचना उपलब्ध नहीं।

परिशिष्ट

2.3

मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सावित हुआ
(संदर्भ कांडिका 2.4.6 पृष्ठ 38)

(₹ हजार में)

	अनुदान का नाम एवं संख्या के राजस्व (भारित)	मूल प्रावधान	वारतीक खर्च	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	34-झारखण्ड लोक सेवा आयोग	40531	29096	11435	2000
	कुल राजस्व (भारित)	40531	29096	11435	2000
	राजस्व (दत्तमत)				
2	1-कृषि विभाग	4605888	2850179	1755709	56372
3	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2023739	1650367	373372	87762
4	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	171387	133268	38119	35203
5	6- निर्वाचन	312928	217280	95648	55000
6	10-ऊर्जा विभाग	7427135	5468937	1958198	1502263
7	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	136773	135913	860	8435
8	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2603184	2226832	376352	307194
9	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	8004543	6642597	1361946	422135
10	23- उद्योग विभाग	1461343	1448384	12959	305967
11	24 - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	327860	264117	63743	19132
12	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	7263490	6351235	912255	572180
13	35- योजना एवं विकास विभाग	201302	161565	39737	100350
14	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2191790	2158698	33092	246356
15	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	830248	744627	85621	432629
16	47 परिवहन विभाग	825353	294217	531136	2767
17	49- जल संसाधन विभाग	2246286	2082943	163343	146502
18	51- कल्याण विभाग	12515884	10797359	1718525	369821
	कुल (दत्तमत)	53149133	43628518	9520615	4670068
	कुल राजस्व	53189664	43657614	9532050	4672068
	पूँजी भारित)				
19	14- ऋण की वापरी आदायगी	15056717	12994268	2062449	384064
	कुल पूँजी (भारित)	15056717	12994268	2062449	384064
	कुल (दत्तमत)				
20	10- ऊर्जा विभाग	3880000	2754338	1125662	200000
21	12-नित विभाग	122000	116320	5680	5000
22	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2188199	1426814	761385	104738
23	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3000000	2672485	327515	450680
24	41- पथ निर्माण विभाग	6974000	6707463	266537	1200453
25	42-ग्रामीण विकास विभाग	6320000	5953838	366162	2000000
26	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	6871906	365845	6506061	67798
27	51- कल्याण विभाग	2287600	1659952	627648	467547
	कुल पूँजी (दत्तमत)	31643705	21657055	9986650	4496216
	कुल पूँजी	46700422	34651323	12049099	4880280
	सकल योग	99890086	78308937	21581149	9552348

परिशिष्ट

2.4

निधि का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनयोग
 (संदर्भ: कंडिका - 2.4.7; पृठ 38)

(₹ लाख में)

क्र.सं	अनुदान की संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	वृद्धि पुनर्विनयोग	कमी पुनर्विनयोग	बचत (-)/अधिक्य (+)
1	6	राज्य विधान सभा का उपचुनाव	2015-106-03	52.59	0	-9.99
2	12	भविष्य निधि खाता (मुख्यालय)	2052-090-10	8.85	0	-6.70
3	20	अंधापन रोकथाम कार्यक्रम	2210-06-101-06	27.53	0	-7.17
4	22	जिला कार्यकारिणी बल	2055-109-01	-	6.00	+1.75
5	23	अधीक्षण	2852-80-001-04	-	6.14	+1.02
6	26	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन	2230-01-103-01	17.27	0	-3.22
7	36	सरकारी भवन में जलापूर्ति	2215-02-105-01	-	17.29	+1.56
8	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2052-00-090-17	5.00	0	-4.81
9	41	राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजना स्कंध अधीक्षण	3054-80-001-07	4.47	0.35	-6.26
10	48	राज्य स्तरीय शहरी प्रशासन निदेशालय	2217-80-001-01	0.80	0	-10.38
11	51	पहाड़िया का व्यवसायिक शिक्षा	2225-02-796-05	18.00	0	-18.06
		कुल		134.51	29.78	-62.26

परिशिष्ट

2.5

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण अभ्यर्पण की संवीक्षा का निष्कर्ष
(संदर्भ कंडिका 2.4.8 पृष्ठ 39)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं शीर्ष	योजना का नाम (लेखों का शीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पित राशि का प्रतिशत
1		2401-00-114-04- तेलहन विकास कार्यक्रम (योजना)	75.00	75.00	100
2		2401-00-789-48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)	400.00	377.66	94
3		2401-00-796-03 बीज उत्पादन	70.00	70.00	100
4		2401-00-796-12 तेलहन उत्पादन	85.00	84.35	99
5		2401-00-796-16 बाजरा खेती का विकास	54.00	54.00	100
6		2401-00-796-43 पाइलट वेदर बेस्ट क्रॉप इंस्योरेन्स स्कीम (योजना)	110.00	106.35	97
7		2401-00-796-48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)	1100.00	977.02	89
8		2401-00-800-48 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) (योजना)	600.00	544.36	91
9		2415-80-796-10 दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहाय्य अनुदान (योजना)	100.00	100.00	100
10		4401-00-796-05 दुमका में कृषि प्रौद्योगिकी पार्क के अन्तर्गत ट्रेनिंग सेंटर का एक्सटेंशन	120.00	120.00	100
11	2-पशुपालन विभाग	2404-00-102-04 ग्रामीण दुग्ध (योजना)	75.00	68.83	92
12		2404-00-102-28 चारगाह विकास (योजना)	93.50	93.50	100
13		2404-00-102-29 फोडर ब्लॉक मेकिंग यूनिट	63.75	63.75	100
14	4-मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	2070-00-800-11 झारखण्ड स्थापना दिवस समारोह (गैर योजना)	100.00	80.00	80
15	9-सहकारिता विभाग	2425-00-107-35 प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना)	960.00	921.90	96
16		2425-00-789-04 प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (योजना)	620.00	594.60	96
17		2425-00-789-18 किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (योजना)	100.00	100.00	100
18		2425-00-796-27 प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु	1580.00	1475.91	93

		अनुदान (योजना)			
19	10- ऊर्जा विभाग	2801-02-800-01 तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को एकवीटी अनुदान (योजना)	500.00	500.00	100
20		2801-01-796-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान (के.प्र.यो.)	1368.40	1368.40	100
21		2801-01-800-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अनुदान (के.प्र.यो.)	1611.33	1611.33	100
22		2801-80-800-07 सलाह एवं अन्य कार्य (नई तकनीक के साथ) जे.एस.ई.बी.की कंपनीयों को सहायतार्थ अनुदान (योजना)	21000.00	21000.00	100
23		2801-80-800-08 सलाह एवं अन्य कार्य (नई तकनीक के साथ) ऊर्जा एफिसिएनसी तथा कंजरवेशन/सलाहकार एवं अन्य कार्य- अनुदान (योजना)	340.00	340.00	100
24		6801-00-789-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम - सी.एस.एस. योजना	420.28	420.28	100
25		6801-00-796-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम - सी.एस.एस. योजना	1368.40	1368.40	100
26		6801-00-796-06 झारखण्ड राज्य जल विद्युत अग्रीम (योजना)	500.00	500.00	100
27		6801-00-800-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम- (योजना)	1611.33	1611.33	100
28		6801-00-789-01 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत एक्सेलरेटेड ऊर्जा विकास कार्यक्रम- (योजना)	420.28	420.28	100
29	12- वित्त विभाग	2052-00-090-02 13वीं वित्त आयोग के आलोक में पेंशनर्स कर्मचारियों का डाटा बेस	250.00	250.00	100
30	14- ऋण का	6003-00-106-02 जमीनदारी उन्मूलन हेतु क्षतिपूर्ति बाँड़ (गैर योजना)	225.00	212.11	94
31		6003-00-109-08 बिहार राज्य सहकारिता लाह बजार फेडरेशन से ऋण (गैर योजना)	15000.0	14853.00	99
32	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता	3456-00-001-01 मुख्यलाय प्रभार (गैर योजना)	125.86	105.08	83
33		3456-00-102-07 बी.पी.एल. परिवारों को उचित मूल्य पर आयोडाइज्ड नमक का वितरण (योजना)	1089.00	1089.00	100

34		3456-00-102-15 लेबी चीनी का वितरण (योजना)	484.90	484.90	100
35		3456-00-102-16 ए.पी.एल. योजना (योजना)	265.80	268.50	100
36		3456-00-102-17 केरोसिन के वितरण हेतु कमीशन (योजना)	91.10	91.10	100
37		3456-00-789-07 बी.पी.एल. परिवारों को उचित मूल्य पर आयोडाइज्ड नमक का वितरण (योजना)	485.60	485.60	100
38		3456-00-789-15 लेबी चीनी का वितरण (योजना)	216.30	216.30	100
39		3456-00-789-16 ए.पी.एल. योजना (योजना)	143.50	143.50	100
40		3456-00-796-07 बी.पी.एल. परिवारों को उचित मूल्य पर आयोडाइज्ड नमक का वितरण (योजना)	2161.00	2161.00	100
41		3456-00-796-08 ग्रामीण अन्न घर (योजना)	158.14	128.53	81
42		3456-00-796-16 ए.पी.एल. योजना (योजना)	694.20	694.20	100
43		3456-00-796-17 केरोसिन के वितरण हेतु कमीशन (योजना)	121.04	121.04	100
44	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-02-110-32 अन्य उद्यान- भगवान बिरसा जैविक उद्यान (सी.पी.एस. योजना)	70.00	70.00	100
45		2406-02-110-38 वन प्रबंधन का इन्टेनशीफीकेशन (सी.पी.एस. योजना)	171.70	171.70	100
46	20-स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-796-03 अन्य स्वास्थ्य सेवाएं (कुठ नियंत्रण कार्यक्रम) (सी.एस.एस. योजना)	97.60	97.60	100
47		2210-02-796-07 देसी आयुर्वेदिक साइंस निर्देशालय - विभिन्न आयु सेक्टरों की स्थापना (योजना)	58.00	58.00	100
48		4210-01-110-01 सुपर स्पेसलिटी अस्पतालों हेतु प्राइवेट सेक्टरों को आसान ऋण (योजना)	150.00	150.00	100
49		4210-02-103-14 कम्यूनिटी स्वास्थ्य सेंटर में मशीन तथा उपकरण सहित मोबाईल चलांत ईकाई स्थापना (योजना)	200.00	200.00	100
50		4210-02-110-31 सदर/उप प्रमंडलीय अस्पतालों के पुनरुत्थान एवं भवन (योजना)	600.00	600.00	100
51		4210-02-789-02 सदर/उप प्रमंडलीय अस्पतालों (मशीन उपकरण तथा औजार सहित) के पुनरुत्थान एवं भवन (योजना)	250.00	250.00	100
52		4210-02-789-03 सदर/उप प्रमंडलीय अस्पतालों के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के	400.00	400.00	100

		कार्यलय भवन का निर्माण (योजना)			
53	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-02-789-10 कम्यूनिटी स्वास्थ्य सेंटर में मशीन तथा उपकरण सहित मोबाइल चलंत ईकाई स्थापना (योजना)	100.00	100.00	100
54		4210-02-796-06 दुमका तथा चास में नये स्वास्थ्य कॉलेज अस्पताल की भवन की स्थापना (योजना)	100.00	100.00	100
55		4210-02-796-40 स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना भवन योजना	1300.00	1038.72	80
56		4210-02-796-46 कम्यूनिटी स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर मशीन एवं उपकरणों सहित स्वास्थ्य ईकाई की स्थापना (योजना)	200.00	200.00	100
57		4210-03-105-04 ए.एन.एम. रकूल भवन का निर्माण (योजना)	250.00	250.0	100
58	22- गृह विभाग	2055-00-104-01 माउंटेड मिलिट्री पुलिस (गैर योजना)	119.06	119.06	100
59		4055-00-207-16 नये उप कारागार का विकास एवं निर्माण (योजना)	1150.00	1150.00	100
60		4055-00-207-33 कारागार कर्मी के निवास का निर्माण (योजना)	220.00	191.08	87
61		4055-00-207-43 भवन निर्माण एवं पुलिस आधुनिकीकरण (योजना)	1914.00	1914.00	100
62		4055-00-796-46 कारागार निरीक्षणालय का निर्माण (योजना)	50.00	50.00	100
63		4055-00-796-67 भवन निर्माण एवं पुलिस आधुनिकीकरण (योजना)	1691.00	1691.00	100
64		4070-00-796-46 हाईड्रोलिक प्लेटफार्म का क्रय (योजना)	500.00	500.00	100
65	22- उद्योग विभाग	2851-00-102-01 लघु उद्योगों के लिए प्लस्टर विकास योजना (योजना)	400.00	400.00	100
66		2852-80-102-03 खाद उद्यान/ज्ञान उद्यान की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण (सी.एस.एस) (योजना)	437.00	437.00	100
67		2852-80-102-07 ए.एस.आई.डी.ई. योजना हेतु राज्यांस (योजना)	250.00	250.00	100
68		2852-80-796-05 अधिग्रहित भूमि का विकास एवं भूमि अधिग्रहण (योजना)	500.00	500.00	100
69	24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-106-03 क्षेत्रीय प्रचार योजना हेतु सूचना भवन का निर्माण (योजना)	100.00	100.00	100
70		2220-60-796-03 क्षेत्रीय प्रचार योजना हेतु सूचना भवन का निर्माण (योजना)	200.00	180.00	90
71	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-01-789-10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना)	600.00	600.00	100

72	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230-01-789-12 बीड़ी मजदूरों हेतु घर का निर्माण(योजना)	80.00	80.00	100
73		2230-03-003-38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रसार(योजना)	1080.85	900.52	83
74		2230-03-796-38 व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रसार (योजना)	1145.85	958.99	84
75	27- विधि विभाग	2014-00-105-04 तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति (गैर योजना)	219.26	219.26	100
76		2014-00-105-05 तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में सुबह एवं शाम के कोर्ट का गठन (गैर योजना)	1652.40	1652.40	100
77		2014-00-105-06 तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में हेरीटेज कोर्ट भवन (गैर योजना)	297.40	297.40	100
78		2053-00-796-19 तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में जिला जिर्णधार हेतु अनुदान (गैर योजना)	280.00	280.00	100
79	35- योजना एवं विकास विभाग	3454-02-205-02 तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशेसा के आलोक में राज्य संचिकीय तंत्र के लिए अनुदान (गैर योजना)	480.00	480.00	100
80		3454-02-796-12 संचिकीय तंत्र का मजबूतीकरण (योजना)	175.00	139.75	80
81	39- सहाय एवं पुनर्वास विभाग	2245-02-113-02 बाढ़ से प्रभावित घरों का मरम्मत एवं पुनर्स्थापन (गैर योजना)	2000.00	1912.88	96
82	40-राजस्व भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-06 सर्वे एवं सेटलमेंट कार्यालय का निर्माण एवं जीर्णधार (योजना)	200.00	200.00	100
83		2029-00-103-01 भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण (सी.पी.एस)	100.0	100.0	100
84	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-052-06 मशीनरी एवं उपकरण (योजना)	110.00	110.00	100
85	42- ग्रामीण विकास विभाग	2505-02-101-05 राद्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा एकट के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार (योजना)	405.00	405.00	100
86		2505-02-789-05 राद्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा एकट के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार (योजना)	120.00	120.00	100
87		2505-02-796-05 राद्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा एकट के तहत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार (योजना)	475.00	475.00	100
88		2515-00-102-28 आदर्श ग्राम योजना (योजना)	720.00	720.00	100
89		2515-00-102-29 ग्रामीण आवास योजना (योजना)	360.00	360.00	100

90	42- ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-789-20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का मजबूतीकरण (योजना)	50.00	50.00	100
91		2515-00-789-28 आदर्श ग्राम योजना (योजना)	240.00	240.00	100
92		2515-00-789-29 ग्रामीण आवास योजना (योजना)	120.00	111.10	93
93		2515-00-796-20 क्षमता विकास (प्रशिक्षण संस्थाओं का मजबूतीकरण (योजना)	130.00	128.72	99
94		2515-00-796-28 आदर्श ग्राम योजना (योजना)	1040.00	1040.00	100
95		2515-00-796-29 ग्रामीण आवास योजना (योजना)	520.00	486.10	93
96		4515-00-103-15 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम - भूमि अधिग्रहण एवं पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत पथ से जोड़ना (योजना)	100.00	91.38	91
97	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-003-10 राट्रीय ई गर्वनेस (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) (योजना)	200.00	200.00	100
98		2203-00-112-02 ग्रेजूएट एवं पोस्ट ग्रेजूएट पाठ्यक्रमों का मजबूतीकरण योजना (योजना)	101.12	88.59	87
99		2203-00-789-61 तेरहवीं वित्त के अनुशंसा के आलोक में यूनिक आईडॉटीफीकेशन के अन्तर्गत बी.पी.एल. नामांकरण की सुविधा (योजना)	232.00	232.00	100
100		2203-00-796-21 ई गर्वनेस- नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)	700.00	635.00	91
101		2203-00-796-23 भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (ई खतियान) (योजना)	609.00	609.00	100
102		2203-00-796-42 संयुक्त क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अनुदान (योजना)	182.00	182.00	100
103		2203-00-796-44 सरकारी पॉलिटेक्नीक-खनन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण (डीप्लोमा पाठ्यक्रम) (योजना)	65.00	52.37	81
104		2203-00-796-56 ई-जिला (योजना)	91.00	91.00	100
105		2203-00-796-58 जे.ए.आई.पी.आई.टी. को अनुदान (योजना)	75.00	75.00	100
106		2203-00-800-40 ई गर्वनेस- नये सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण (योजना)	200.00	200.00	100
107		2203-00-800-44 भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (ई खतियान) (योजना)	300.00	300.00	100
108		2203-00-800-47 बाह्य संपोषित योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा में गुणांतमक सुधार गयक्रम हेतु अनुदान (योजना)	62.00	62.00	100

परिशिष्ट

109	43- विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग	4202-02-105-06 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण - इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलेटेक्निक/खनन संस्थाओं का जीर्णधार एवं निर्माण (सी.पी.एस.)	1000.00	980.86	98
110		4202-00-789-07 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण- नये पॉलेटेक्नीक का निर्माण एवं जीर्णधार (योजना)	560.40	560.40	100
111	46-पर्यटन विभाग	3452-01-796-09 प्रबंधकीय अनुदान/सहायिकी/प्रोत्साहन आदि (योजना)	100.00	100.00	100
112		3452-01-104-03 प्रबंधकीय अनुदान/सहायिकी/प्रोत्साहन आदि (योजना)	100.00	100.00	100
113		5452-80-796-63 होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य फूड क्राफ्ट संस्थान, एडवेंचर टूरिज्म संस्थान तथा पर्यटन डेवल्पमेंट ऑथरिटी को अनुदान (योजना)	200.00	200.00	100
114	48- नगर विकास एवं आवास विकास	2215-02-789-06 नगर स्थानीय निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुदान (योजना)	170.00	170.00	100
115		2217-80-191-05 शहरी स्थानीय निकायों के आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु सहायक अनुदान योजना	1000.00	800.00	80
116		4217-60-190- नदी सुरक्षा योजना अनुदान (सी.एस.एस. योजना)	700.00	700.00	100
117		4217-60-190-09 केन्द्र प्रायोजित एस. जे. एस. आर. वाई. को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना)	2400.00	2400.00	100
118		4217-60-190-14 जे.एन.एन.ओ.आर.एम. को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना)	16500.00	15669.13	9
119		4217-60-190-21 तलाव सुरक्षा कार्यक्रम हेतु सहाय अनुदान (योजना)	700.00	700.00	100
120		4217-60-190-31 समेकित अल्प लागत योजना हेतु सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना)	1560.00	1560.00	100
121		4217-60-190-32 आवेर्टस मोर्डनाइज्डरेशन सहाय अनुदान (योजना)	500.00	500.00	100
122		4217-60-191-02 पदोन्नति प्रचार, प्रिंटींग सेमिनार वर्क सॉप इत्यादि हेतु सहाय अनुदान (योजना)	200.00	200.00	100
123		4217-60-191-03 नगर प्रशासन का कम्प्यूट्रीकरण मोर्डनाइजेशन एवं सुदृढ़ीकरण (योजना)	500.00	500.00	100
124		4217-60-191-06 केन्द्र प्रायोजित आई.एल.सी. को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना)	500.00	500.00	100
125		4217-60-191-07 जे.एन.एन.यू.आर.एम. .को सहाय अनुदान (योजना)	500.00	500.00	100

126	48- नगर विकास एवं आवास विकास	4217-60-191-14 जे.एन.एन.यू.आर.एम. को सहाय अनुदान (योजना)	5500.00	5400.00	98
127		4217-60-789-14 जे.एन.एन.यू.आर.एम. को सहाय अनुदान (योजना)	6000.00	6000.00	100
128		4217-60-789-14 जे.एन.एन.यू.आर.एम. को सहाय अनुदान (योजना)	2000.00	2000.00	100
129		4217-60-796-08 झारखण्ड नगर प्लानिंग संस्थान की स्थापना हेतु सहाय अनुदान (योजना)	100.00	100.00	100
130		4217-60-796-14 केन्द्र प्रायोजित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना को सहाय अनुदान (सी.एस.एस. योजना)	22500.00	21668.03	96
131		4217-60-796-14 केन्द्र प्रायोजित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना को सहाय अनुदान (योजना)	7500.00	7100.00	95
132	49-जल संसाधन विभाग	2711-01-001-01 गंगा दाहिने किनारों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य (गैर योजना)	100.00	100.00	100
133		4711-01-796-01 बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव निरोधक सिविल निर्माण कार्य (सी.एस.एस.योजना)	2400.00	1947.12	81
134	50-लघु सिंचाई विभाग	4702-00-101-07 वाटर बोडिज का पुर्नस्थापन कार्य (सी.एस.एस. योजना)	300.00	300.00	100
135		4702-00-101-07 वाटर बोडिज का पुर्नस्थापन कार्य (योजना)	100.00	100.00	100
136		4702-00-789-28 लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (ए.आई.बी.पी) (योजना)	550.00	550.00	100
137		4702-00-796-01 वाटर बोडिज का पुर्नस्थापन कार्य (सी.एस.एस. योजना)	300.00	300.00	100
138		4702-00-796-03 रेशनालाईजेशन ऑफ माइनर एरिंगेशन स्टैटिस्टिक (सी.एस.एस. योजना)	120.00	120.00	100
139		4702-00-796-07 वाटर बोडिज का पुर्नस्थापन कार्य (सी.एस.एस. योजना)	100.00	100.00	100
140		2225-01-789-22 बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण योजना (सी.पी.एस.)	300.00	255.28	85
141	51-कल्याण विभाग	2225-01-789-67 शिक्षा- विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (योजना)	500.00	500.00	100
142		2225-02-796-04 जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम योजना (सी.पी.एस.)	5976.06	4908.06	82
143		2225-01-96-28 लाह विकास योजना (योजना)	200.00	200.00	10
144		2225-03-277-06 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (सी.पी.एस.)	65.00	65.00	100
145		2225-03-277-06 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (योजना)	65.00	65.00	100

146	51-कल्याण विभाग	2235-02-102-48 प्री स्कूल एड्यूकेशन योजना (सी.एस.एस.)	322.93	322.93	100
147		4225-01-789-02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य योजना (सी.एस.एस.)	400.00	395.00	99
148		4225-02-277-02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य योजना (सी.पी.एस.)	150.00	150.00	100
149		4225-02-277-04 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास जिर्णोद्धार (योजना)	165.00	150.00	91
150		4225-02-277-32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (सी.एस.एस) (योजना)	50.00	50.00	100
151		4225-02-796-02 छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास- मुख्य निर्माण कार्य योजना (सी.एस.एस) (योजना)	350.00	350.00	100
152		4225-02-796-32 आश्रम/एकलव्य विद्यालयों को खोलना एवं संधारण (सी.एस.एस) (योजना)	150.00	150.00	100
153		4225-80-796-11 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (सी.पी.एस.) (योजना)	270.00	270.00	100
154		4225-80-796-11 प्री मैट्रीक स्कॉलरशिप योजना (सी.एस.एस.) (योजना)	106.22	106.22	100
155	52-कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	2204-00-796-24 साहसिक खेल (योजना)	100.00	100.00	100
156		4202-03-102-08 खेल विद्यालय (योजना)	130.00	130.00	100
157		4202-03-796-10 खेल सामग्रि निर्माण की ईकाई (योजना)	300.00	300.00	100
158		4202-03-796-12 दुमका में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का निर्माण (योजना)	100.00	100.00	100
159		4202-03-796-13 एन.सी.सी. प्रशासनिक भवन का निर्माण (योजना)	100.00	100.00	100
160		4202-04-796-05 ललित कला एकाडमी रिजनल सेंटर (योजना)	100.00	100.00	100
161		4202-04-796-06 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण (योजना)	1500.00	1500.00	100
162		4202-04-796-07 हेरीटेज पार्क (योजना)	500.00	500.00	100
कुल			170614.56	165097.76	

परिशिष्ट

2.6

**वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित राशि
(प्रत्येक मामलों में ₹ 50 लाख या अधिक)
(संदर्भ कठिका 2.4.9 पृष्ठ 39)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान एवं विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य अभ्यर्पित राशि
राजस्व दत्तमत					
1	28- उच्च न्यायालय	36.77	2.92	3.21	0.29
2	14- ऋणों की वापसी	1544.08	244.65	258.34	13.69
राजस्व मतदेय					
3	18-खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	662.21	84.27	85.99	1.72
4	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	17.03	3.80	4.19	0.39
5	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	176.82	2.74	2.96	0.22
6	39-आपदा प्रबंधन विभाग	570.51	42.09	42.29	0.20
	कुल	3007.42	380.47	396.98	16.51

परिशिष्ट

2.7

₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत जो
अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी
(संदर्भ कडिका 2.4.10 पृष्ठ 39)

(रकरोड में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई
1	2	3	4	5
राजस्व				
1	कृषि विभाग	181.21	75.88	105.33
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	46.11	27.98	18.13
3	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सहकारिता विभाग	7.33	5.99	1.34
4	ऊर्जा विभाग	346.05	311.98	34.07
5	वन एवं पर्यावरण विभाग	68.35	35.91	32.44
6	स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	178.41	143.02	35.39
7	उच्च शिक्षा विभाग	10.13	-	10.13
8	गृह विभाग	83.30	77.54	5.76
9	उद्योग विभाग	31.89	30.51	1.38
10	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	148.44	143.54	4.90
11	खनन एवं भूतत्व विभाग	5.69	4.23	1.46
12	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	27.94	15.18	12.76
13	पथ निर्माण विभाग	20.60	15.30	5.30
14	ग्रामीण विकास विभाग	156.55	115.91	40.64
15	संकेती, प्राथमिक एवं लोक लेखा विभाग	311.44	-	311.44
16	परिवहन विभाग	53.39	52.09	1.30
17	शहरी विकास एवं आवास विभाग	56.16	42.08	14.08
18	जल संसाधन विभाग	30.98	23.77	7.21
19	लघु सिंचाई विभाग	9.59	7.40	2.19
20	कल्याण विभाग	208.83	129.73	79.10
21	खेल कुद कला संस्कृति एवं युवा विभाग	12.83	6.51	6.32
पूँजी				
1	ऊर्जा विभाग	132.57	98.57	34.00
2	स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग	86.61	78.52	8.09
3	गृह विभाग	101.74	87.26	14.48
4	अत्यसंख्यक कल्याण विभाग	1.60	0.06	1.54
5	पथ निर्माण विभाग	146.70	136.20	10.50
6	ग्रामीण विकास विभाग	236.62	128.12	108.50
7	संकेती, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा विभाग	5.62	-	5.62
8	पर्यटन विभाग	14.50	12.50	2.00
9	परिवहन विभाग	2.97	-	2.97
10	शहरी विकास एवं आवास विभाग	657.39	654.37	3.02
11	जल संसाधन विभाग	153.71	106.12	47.59
12	लघु सिंचाई विभाग	29.80	27.42	2.38
13	कल्याण विभाग	109.52	95.07	14.45
	कुल	3674.57	2688.76	985.81

परिशिष्ट

2.8

**30 और 31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से
अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले
(संदर्भ कंडिका 2.4.10 पृष्ठ 39)**

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	
1	1	2415-80-796-04	12.05	34.43
2	9	2425-00-796-27	14.76	93.42
3	9	2425-00-796-28	14.41	24.72
4	10	2801-01-796-02	23.73	54.59
5	10	2801-01-800-02	27.95	54.61
6	10	2801-05-796-01	13.68	100.00
7	10	2801-05-800-01	16.11	100.00
8	10	6801-00-796-01	13.68	100.00
9	10	6801-00-800-01	16.11	100.00
10	10	6801-00-800-05	40.00	44.44
11	13	2049-01-200-08	11.37	26.21
12	14	6003-00-109-01	107.69	53.82
13	14	6003-00-109-08	148.53	99.02
14	19	2406-01-105-38	11.65	61.54
15	20	2211-00-101-01	97.76	65.18
16	22	2055-00-115-67	39.20	78.40
17	22	4055-00-207-16	11.50	100.00
18	22	4055-00-207-43	19.14	100.00
19	22	4055-00-211-01	25.06	30.24
20	22	4055-00-796-67	16.91	100.00
21	27	2014-00-105-05	16.52	100.00
22	36	4215-01-102-08	12.71	21.46
23	39	2245-01-101-07	10.94	36.47
24	39	2245-02-113-02	14.13	70.65
25	41	5054-03-101-01	18.17	71.68
26	41	5054-03-337-01	26.37	19.23
27	41	5054-03-796-01	33.91	8.13
28	41	5054-03-796-08	45.72	30.48
29	42	2505-02-796-04	16.30	21.02
30	42	2515-00-796-28	10.40	100.00
31	42	4515-00-103-07	63.80	38.43
32	42	4515-00-789-04	10.15	46.14

33	42	4515-00-796-04	44.68	25.10
34	47	3055-00-190-01	52.09	68.57
35	48	4217-60-190-09	24.00	100.00
36	48	4217-60-190-14	156.69	94.96
37	48	4217-60-190-31	15.00	100.00
38	48	4217-60-789-14	60.00	100.00
39	48	4217-60-796-14	216.68	96.30
40	49	4711 01 796 01	19.47	81.13
41	51	2225-02-796-04	49.08	82.13
42	51	4225-02-796-08	34.09	29.48
43	51	4225-02-796-12	39.81	35.54
	कुल		1672.00	

परिशिष्ट

2.9

वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की वेग

(संदर्भ कंडिका 2.4.11 पृष्ठ 39)

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	शीर्ष	जनवरी से मार्च 2011 तक व्यय	मार्च 2011 में व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत सकल	
						जनवरी मार्च 2011	मार्च 2011
1	6 -निर्वाचन	2015	14.84	11.67	22.99	64.69	50.76
2	35-योजना एवं विकास विभाग	5053	107.04	84.36	186.29	59.37	45.28
3	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203	50.05	37.69	71.97	71.97	52.36
4	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217	72.12	58.28	140.26	51.00	41.55
5	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2225	311.23	209.28	436.33	71.00	47.96
6	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	2230	103.03	80.80	133.75	77.00	60.41
7	1-कृषि विभाग	2401	142.62	118.82	177.73	80.00	66.85
8	1-कृषि विभाग	2402	37.29	34.74	46.05	80.00	75.44
9	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2403	49.57	28.81	88.79	55.82	32.44
10	2-पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2404	43.49	37.38	54.00	80.00	69.22
11	9-सहकारिता विभाग	2425	137.47	31.03	157.00	87.52	19.76
12	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501	30.73	22.54	49.80	61.70	45.26
13	42-ग्रामीण विकास विभाग	2505	240.37	200.93	335.15	71.72	59.95
14	42-ग्रामीण विकास विभाग	2515	995.28	741.81	1293.33	76.95	57.36
15	47-परिवहन विभाग	3055	16.37	15.58	23.88	68.00	65.24
16	22-गृह विभाग	4055	53.70	51.50	69.96	76.75	73.61
17	43-विभाग एवं प्रावैधिकी विभाग	4202	41.52	40.25	54.20	76.60	74.26
18	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	4217	19.59	19.59	21.70	90.28	90.28
19	9-सहकारिता विभाग	4225	155.64	107.02	187.53	82.00	57.07
20	47-परिवहन विभाग	5075	174.16	174.16	300.16	58.02	58.02

परिशिष्ट

3.1

31 मर्च 2011 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(संदर्भ कंडिका 3.1. पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

विभाग	वर्ष 2009-10 तक (2008-09 तक अनुमोदित की जी.आई.ए)		वर्ष 2010-11 के दौरान (2009-10 तक अनुमोदित जी.आई.ए.)		बकाया उ.प्र.प. की संख्या	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उद्योग	175	843.61	28	200.71	203	1044.32
पशुपालन	60	16.35	05	4.80	65	21.15
सहकारिता	42	130.59	09	9.55	51	140.14
स्वास्थ्य	05	3.27	06	87.05	11	90.32
कल्याण	124	85.55	35	7.36	159	92.91
कृषि	05	2.60	55	47.88	60	50.48
भू-राजस्व	02	0.63	01	0.21	03	0.84
शिक्षा	168	1296.59	76	297.49	244	1594.08
शहरी विकास	1806	500.77	1006	266.42	2812	767.19
अन्य	280	912.07	154	456.17	434	1368.24
कुल	2667	3792.03	1375	1377.64	4042	5169.67

परिशिष्ट

3.2

दुर्विनियोग एवं घाटों के मामलों का विभागवार व्यौरा

(संदर्भ कंडिका 3.3. पृष्ठ 46)

क्र.सं.	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	पथ निर्माण विभाग	1	1	2	126.40
2	ग्रामीण विकास विभाग	2	1	3	16.22
3	कृषि विभाग	1	1	2	5.49
4	जल संसाधन विभाग	1	-	1	5.00
	कुल	5	3	8	153.11

परिशिष्ट

4.1

प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान, गणना के आधार एवं शब्दावलियों की सूची

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचलन की उत्प्लावकता	प्राचलन की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचलन के संबंध में प्राचलन की उत्प्लावकता (x)	प्राचलन की वृद्धि दर (x)/प्राचलन की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(चालू वर्ष की राशि/पिछले वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व)/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ.वृद्धि दर – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण* ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में पाप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष) /2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निबल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ- विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिदार की कमी के लिए विनियोग के अंतर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़ कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय
ऋण धारणीयता	किसी राज्य द्वारा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की क्षमता को ऋण ग्राह्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है यह किसी संस्था के ऋण निष्पादन की क्षमता को भी निरूपित करती है। अतः चालू प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल पर परिस्तृप्ति की प्रचूरता तथा अतिरिक्त देनदारियों की खरीद तथा उन देनदारियों से वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता को भी ऋण सहनशीलता कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निपादन की क्षमता में वृद्धि से मेल खाता है।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर और लोक उधार से अधिक हो, ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर हो सकता है बशर्ते प्रारंभिक शेष या तो शुन्य हो या धनात्मक हो या मध्यम रूप में ऋणात्मक हो। दिए हुए दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) पर ऋण स्थिरीकरण की शर्त के अनुसार यदि क्वांटम विस्तार प्राथमिक ऋण के साथ हो तो कर्ज स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण कुछ समय में स्थिर हो जाएगा।

गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	राज्य का बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्तियाँ बढ़े हुए व्याज दायित्वों और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय पूरा करने के लिए प्रचुर हो तो ऋण धारणीयता को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है अगर बढ़ा हुआ गैर ऋण प्राप्ति बढ़े हुए व्याज भार और बढ़े हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने में सक्षम हो ।
उधार ली गई निधि की सकल उपलब्धता	सकल ऋण प्राप्तियाँ से ऋण मोचन (मूलधन + व्याज भुगतान) के औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है और बताता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण मोचन में किया है, उधार निधि की सकल उपलब्धता को बताता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल + पूरक) बजट अनुदानों में अंतर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदानो एवं भारित विनियोग एवं उसके सामने प्रत्येक के विरुद्ध किया गया कुल व्यय एवं अव्ययित अनुदानो या आधिक्य प्रत्येक अनुदानों या विनियोगों के अन्तर्गत अनुदानो से किया अधिक कोई व्यय को विधान मण्डल द्वारा विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।
स्वायत्त निकायों	स्वायत्त निकायों (साधारणत : पंजीकृत समितियों एवं संविधिक निगमो) जब कभी यह किया जाता है कि नियत कार्यों को सरकारी व्यवस्था से बाहर जाकर निर्वहन की आवश्यकता है एवं दिन प्रतिदिन सरकारी तंत्र के द्वारा लंदाजी के बिना कुछ मात्रा में स्वतंत्रता एवं लोचता के साथ स्थापित किये जाते हैं।
बचन बद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के बचन बद्ध व्यय में मुख्यतः व्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन एवं अनुदान जिसपर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है, शामिल है।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में कोई संगठन/संस्था जिसमें गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के प्राधिकृत किया गया है, उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।
आकस्मिकता निधि	विधान मण्डल द्वारा कानून द्वारा अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई है एवं समय-समय पर ऐसी राशि का इसमें भुगतान किया जाता है जैसा विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित है एवं उक्त निधि विधान मण्डल से स्वीकृति के लिए लंबित ऐसे व्यय अदृष्ट व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखा जाता है।
राज्य के समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल हैं।
आकस्मिकता देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से उम्रतक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋणदाता द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व है जिसके लिए गारंटियों को बढ़ाया गया है। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान बढ़े हुए गारंटियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को लंबित आव्वानित गारंटियों के कम से कम 1/5 वें भाग तथा संभावित आव्वानित राशि के बराबर योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण शामिल है जिसे भारत में उद्यग्नित ऋण भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान को छोड़कर से है।
पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोग से तात्पर्य एक प्राथमिक ईकाई के विनियोग से अन्य इस प्रकार के ईकाई में निधियों के स्थान्तरण से है।
अव्ययित अनुदानों का अर्थपण	राज्य सरकार के विभाग को प्रत्येक वित्तिय वर्ष के समाप्ति से पहले उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों ध्यान में आये सभी पूर्वानुमित अव्ययित अनुदानों को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार कोई विधि द्वारा प्राधिकृत राशि अगर वर्तमान वित्तिय वर्ष में विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अर्पाप्त पाया जाता है या वर्तमान वित्तिय वर्ष के दौरान जब आवश्यकता होती है या कोई नई सेवा पर अतिरिक्त व्यय जिसे उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया है, सरकार संविधान के अनुच्छेद 115 (1) के उपबन्धों के अनुसार पूरक अनुदान प्राप्त करती है।
उच्चन्त एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदे जिसे प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में उसे उनकी प्रकृति या किसी अन्य कारण से तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखे के मुख्य शीर्ष 8658, उचन्त लेखा, क्षेत्र में उचन्त एवं विविध में रखा जाता है (आगे के मागदर्शन के लिए लेखे के मुख्य शीर्ष के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची के अंतर्गत फुटनोट संदर्भित करना चाहिए) सेवा प्राप्ति जिसमें पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है उचन्त लेखे शीर्ष में नहीं लेना चाहिए लेकिन “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत राजस्व मुख्य शीर्ष जिससे संबंधित प्रतीत होता है लेना चाहिए एवं पूर्ण विवरण की प्राप्ति के बाद अंतोगत्वा सही शीर्ष में जमा कर स्थान्तरित करना चाहिए।
लोक लेखा समिति	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में राज्य के विनियोग लेखे राज्य के वित्तीय लेखे एवं इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों जैसा इसके समक्ष उपस्थापित किया जाता है या समिति जो संवीक्षा के आवश्यक समझे जाँच के लिए विधान मण्डल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए.ई.	समस्त व्यय
बी. ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पंजीगत व्यय
डी.सी.सी. बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय
डी.सी.आर.एफ.	ऋण समेकन और राहत सुविधा
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
आई.पी.	ब्याज भुगतान
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यकालीन राजकोषीय नीतिगत बयान
ओ.एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस.एण्ड डब्ल्यू.	वेतन और मजदूरियाँ
एस.ए.आर.	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	बारहवें वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
भी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर